(7)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सां०नि०/स्था०17–17/2018 157 पटना, दिनांक: 21.10.2020

कार्यालय आदेश

मो०रहमत अली, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर–सह– तत्कालीन प्रभारी प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–540/आपूर्ति दिनांक–02.04.2018 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–125 सहपठित ज्ञापांक–868 दिनांक–30.04.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

मो० रहमत अली के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

"(i). विभागीय निदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर सत्यापित डाटा बेस का अद्यतीकरण तथा आधार संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना था, परन्तु अभी तक मात्र RC01 में 65.80 एवं RC02 मे 55.17 प्रतिशत किया गया है, जो लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया है। बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा शतप्रतिशत आधार सीडिंग नहीं करना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

(ii). सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात चयनित पात्र परिवारों के बीच राशन कार्ड के वितरण के समय चिन्हित अन्त्योदय परिवार एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् परिवर्द्धित सूची से अन्त्योदय परिवारों को चिन्हित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर समेकित सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।

(iii). विभागीय निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन POIMS के WEBSITE पर UPLOAD करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा शतप्रतिशत नहीं किया जा रहा है, जो उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना है।

(iv). खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण का Online प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा शतप्रतिशत नहीं किया जा रहा है, जो उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना है।

(v). आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) (i),(ii) एवं (iii) का उल्लंघन है।"

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मुजफ्फरपुर के पत्रांक–147/वि०जॉ० दिनांक– 15.07.2020 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न समीक्षा/निष्कर्ष दिया है :–

समीक्षा:– मो०रहमत अली, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–तत्कालीन प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये विभागीय पक्षों का अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों को सविस्तार सुना।

0145 स्था० 1(का०आ०) (14 अक्टूबर 2020) मो० रहमत अली.

(i) विभागीय निदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के अधीन जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर सत्यापित डाटा बेस का अद्यतीरण तथा आधार संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना था। परन्तु अभी तक मात्र RC01 में 65.80 एवं RC02 में 55.17 प्रतिशत किया गया है, जो लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। बार–बार आदेश के बाबजूद भी इनके द्वारा शतप्रतिशत कार्य नहीं किया गया है। मो० रहमत अली ने स्पष्ट किया है कि अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटरा के द्वारा RC01 एवं RC02 में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 18 नवंबर, 2017 को इन्हें प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटरा का प्रभार दिया गया। नवंबर, 2017 में RC01 में 65.02 एवं RC02 में 52.52 प्रतिशत था। अप्रैल, 2018 में RC01 में 66.06 एवं RC02 में 56.39 प्रतिशत हुआ । अर्थात् एक में एक प्रतिशत एवं दो में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण अप्रैल,2018 में इन्हें पदभार से मुक्त कर दिया गया। पुनः अंचलाधिकारी, कटरा को प्रभार दे दिया गया। इनके सहकर्मी का सहयोग नहीं मिलने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। इनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया। उपस्थापन पदाधिकारी का कहना है कि ये अतिरिक्त प्रभार में दिनांक–02.06.2018 से दिनांक–04.09.2018 तक लगभग तीन माह के वर्त्तमान में RC01 में 76.29 एवं RC02 में 64. 69 प्रतिशत आधार सीड़िग का कार्य हुआ है, जबकि जिला का RC01 में 85.88 एवं RC02 में 71.15 प्रतिशत आधार सीड़िंग का कार्य हुआ है।

(ii) सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् चयनित मात्र परिवारों के बीच राशन कार्ड के वितरण के समय चिन्हित अन्तयोदय परिवार एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् परिवर्द्धित सूची से अन्तयोदय परिवारों को चिन्हित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर समेकित सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। मो०अली ने स्पष्ट किया है कि अन्तयोदय परिवार सत्यापन के लिए जिला से कुछ ही चयनित परिवारों का डाटा उपलब्ध कराया गया। जिसका सत्यापन कर इनके द्वारा प्रतिवेदन दे दिया गया। शेष बचे परिवारों का बिना प्रमाणित सूची के सत्यापन के नाम एवं परिवार के संबंध में त्रुटिसंभव है। इसलिए इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन नहीं दिया गया। उपस्थापन पदाधिकारी का कहना है कि ये प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में थे। सभी प्रखंडों में अन्तयोदय का सत्यापन लंबित था। मार्च /अप्रैल, 2019 में अभियान चलाकर इसे लगभग पूर्ण किया गया है।

(iii) विभागीय निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन POIMS WEBSITE पर UPLOAD करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा शतप्रतिशत नहीं किया जा रहा था, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। इस संबंध में मो० अली का कहना है कि इस कार्य हेतु अंचलाधिकारी– सह –प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी ने प्रशिक्षण लिया था । उनके द्वारा मोबाईल जो इन्हें मिला था उसमें ऐप कार्य नहीं कर रहा था। इस संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी का कहना है कि अक्टूबर, 2019 से पॉस मशीन से वितरण इस जिला में प्रारंभ है। वितरण का पर्यवेक्षण ऑनलाईन किया जा रहा है। लाभुक के Biometric Authentication के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

निष्कर्ष :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्रांक–1394 दिनांक–16.06.2020 में संपूर्ण तथ्य को रखते हुए सहानभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है। तात्पर्य यह कि सभी आरोप सही है।

साथ ही मो० रहमत अली , प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी –सह–तत्कालीन प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटरा द्वारा आरोप के बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः आरोप प्रमाणित होते हैं ।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), मुजफ्फरपुर के आरोप प्रमाणित होते हैं , के प्रतिवेदन पर मो० रहमत अली से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में मो० रहमत अली ने उल्लेख किया है कि –(i)उन्हें दिनांक–18.11.2017 को अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा RC01 एवं RC02 में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटरा का प्रभार दिया गया। उस वक्त का RC01 में 65.02 एवं RC02 में 52.52 प्रतिशत था। प्रभार लेने के बाद अप्रैल, 2018 में RC01 में 66.06 एवं RC02 में 56.39 प्रतिशत हुआ था अर्थात् RC01 में 1 (एक) प्रतिशत एवं RC02 में 4 (चार) प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बाद उन्हें पदभार से मुक्त कर पुनः अंचलाधिकारी, कटरा को प्रभार दिया गया।

क्रमिक प्रगति क्षेत्र की दुरूहता एवं ग्रामीण क्षेत्र में आधार सीडिंग के प्रति जन उदासीनता को स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित करता है। RC01एवं RC02 के प्रगति कार्य सहायक कर्मियों , पंचायत सेवक, जन सेवक, विकास मित्र, जनवितरण प्रणाली विक्रेता को करना था जिसकी जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की थी। आपूर्त्ति पदाधिकारी के रूप में उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया तभी अप्रैल एवं मई, 2018 में उनके प्रभार में नहीं रहने पर RC01 एवं RC02 की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि यह कार्य अत्यंत दुरूह है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के दायित्व को उनका दायित्व बताकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करना सर्वथा अनुचित है।

(ii) अन्तयोदय परिवार के सत्यापन के लिए जिला से कुछ ही चयनित परिवारों का डाटा उपलब्ध कराया गया जिसका सत्यापन कर उनके द्वारा प्रतिवेदन दे दिया गया। शेष बचे परिवारों का बिना प्रमाणिक सूची के संत्यापन में नाम एवं परिवार के संबंध में त्रुटि संभव है। गलत प्रतिवेदन नहीं देकर डाटा के आलोक में उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था।

(iii) POIMS पर निरीक्षण का Website App पर अपलोड करने हेतु अंचलाधिकारी–सह–आपूर्त्ति पदाधिकारी ने प्रशिक्षण लिया था, परन्तु उनके द्वारा उन्हें जो मोबाईल उपलब्ध कराया गया उसमें ऐप कार्य नहीं कर रहा था और उन्होंने निरीक्षण कर प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया । वेबसाईट एवं नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होने के कारण जिले के सभी आपूर्त्ति पदाधिकारी का अपलोड़िंग की स्थिति खराब रही है।

(iv) ऑनलाईन प्रविष्टि का कार्य डाटा ऑपरेटर को करना था। इसके लिए प्रतिनियुक्त डाटा ऑपरेटर को अनुमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। ऑपरेटर के द्वारा राशन कार्ड संबंधित कार्य लिया जा रहा था।

(v) अपने पद के दायित्व के अतिरिक्त उन्हें प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का प्रभार अचानक नवंबर, 2017 में दे दिया गया । दो वर्षो से आधार सीड़िंग एवं डाटा अपडेशन का कार्य किया जा रहा था। वे तीन महीना ही प्रभार में रहे हैं, प्रभार में रहने के बाबजूद उनके द्वारा अपने पद के कार्य के साथ विभागीय निर्देश का पूर्ण पालन किया गया एवं आपूर्त्ति संबंधी कार्यो का भी उन्होंने पूरी निष्ठा से अनुपालन किया। पूर्व से अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण आरोप उनके उपर गढ़ना उनके जैसा अनुशासित कर्मी के लिए उचित नहीं है।

उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्वयं जाँच किया तथा पाया कि वास्तव में वे प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के प्रभार में दिनांक–02.06.2018 से दिनांक–04.09.2018 तक लगभग तीन माह थे तथा पाया कि कटरा प्रखंड में RC01 में 76.29 एवं RC02 में 64.69 प्रतिशत आधार सीड़िंग का कार्य हुआ है जबकि जिला का RC01 से 85.88 एवं RC02 में 71.15 प्रतिशत आधार का कार्य हुआ है।

सभी प्रखंडों में अन्तयोदय का सत्यापन लंबित था। मार्च/अप्रैल, 2019 में अभियान चलाकर इसे लगभग पूर्ण करा लिया गया है।

आरोप संख्या–03 एवं 04 के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी का कहना है कि अक्टूबर, 2019 से पॉस मशीन से वितरण इस जिला में प्रारंभ है। अब वितरण का पर्यवेक्षण ऑनलाईन किया जा रहा है ।"

4. अपने अभ्यावेदन में मो० रहमत अली द्वारा प्रायः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को कहा गया था। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा आरोप के बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो०रहमत अली पर संचयात्मक प्रभाव के बिना 1 (एक) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो०रहमत अली, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर–सह– तत्कालीन प्रभारी प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी, कटरा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) में किये गये प्रावधान के तहत संचयात्मक प्रभाव के बिना 1 (एक) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–17/2018 2054 पटना, दिनांकः 21.10.2020

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फपुर को उनके पत्रांक–540/आपूर्ति दिनांक–02.04.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. मो०रहमत अली, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर–सह– तत्कालीन प्रभारी प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी, कटरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 20/x